# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / माध्य / छात्रवृत्ति / सेल–ई / मु.ह.बे.यो. / 2021–22 दिनांक :26.04.2022

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक–मुख्यालय

विषयः– "मुख्यमंत्री हमारी बेटियॉ योजना" अन्तर्गत वर्ष 2021–22 के प्रस्ताव भिजवाने बाबत्।

प्रसंगः– शासन का पत्रांक : प.17(11)शिक्षा–1 / 2015, जयपुर, दिनांक 19.04.2022 एवं बालिका शिक्षा फाउन्डेशन राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.85 / बा.शि.फा / मु.ह.बेटी / 2016–17 / पार्ट–2 / 132–164 दिनांक 25.04.2022 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासन का पत्रांक : प.17(11)शिक्षा–1 / 2015, जयपुर, दिनांक 19.04.2022 की पालना में बालिका शिक्षा फाउन्डेशन राजस्थान जयपुर के प्रासंगिक पत्रांक दिनांक 25.04.2022 के द्वारा "मुख्यमंत्री हमारी बेटियॉ योजना" के तहत वर्ष 2021–22 के विस्तृत दिशा–निर्देश बिन्दुवार आपके कार्यालय को प्रेषित कर दिए गये है। इस क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2021–22 में कक्षा–11 एवं 12 में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं से प्रपत्र 1 व प्रपत्र 2 में पूर्ति करवाकर दिनांक 15.05.2022 तक प्रस्ताव बालिका शिक्षा फाउन्डेशन राजस्थान जयपुर को प्रेषित करते हुए उक्त प्रपत्रो की प्रति मय आवश्यक दस्तावेज इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करे। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्नः– बालिका शिक्षा फाउण्डेशन के पत्र की प्रति

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

**प्रतिलिपि :** निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ।
2. सचिव, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, मण्डल कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा को योजना की समयबद्ध क्रियान्विति हेतु व प्रभावी प्रबोधन हेतु।
4. वरिष्ठ सम्पादक "शिविरा", कार्यालय हाजा को योजना के दिशा निर्देशों का प्रकाशन आगामी अंक में करने हेतु।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department

# बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राजस्थान, जयपुर

एकलव्य भवन, डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015

क्रमांक :– प.85 / बा.शि.फा. / मु.ह.बे.योजना / 2016–17 / पार्ट–2 / 132-164 दिनांक : 25/4/2022

जिला शिक्षा अधिकरी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा,
समस्त

विषय :–"मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना" 2021–22 के प्रस्ताव भिजवाने बाबात्।
सन्दर्भ:–राज्य सरकार पत्रांक प 17(11)शिक्षा–1 / 2015 / जयपुर / दिनांक 19.04.2022 एवं
नि.मा.शि.बीकानेर पत्रांक शिविरा / माध्य / छात्रवृति / स्कॉलर–इ / मु.ह.बे.यो / 2021–22 /
दिनांक 21.04.2022

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भित पत्रों के सम्बन्ध मे लेख है कि "मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना" वर्ष 2021–22 के प्रस्तावों हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त पत्रों के अनुपालना में वर्ष 2021–22 में कक्षा–11 एवं 12 में अध्ययनरत बालिकाओं से प्रपत्र–1 व 2 की पूर्ति करवाकर इस कार्यालय को दिनांक 15.05.2022 तक निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखतें हुए बिलों की जॉच किया जाना आवश्यक है:–

1. राज्य सरकार द्वारा जारी पत्रांक दिनांक 16.10.2015 के बिन्दु संख्या 3.3 के अनुसार कोचिग संस्थानों से तात्पर्य जिले में चल रहें प्रतिष्ठित कोचिग संस्थानों (संस्थांगत संस्थानो) से है न कि व्यक्तिगत स्तर पर टयूशन (पर्सनल टयूशन) से है।
2. कोचिग संस्थानों के स्थान पर व्यक्तिगत स्तर शिक्षक से कोचिग / प्रशिक्षण प्राप्त करती है तो इस के लिए किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जा सकेगी।
3. यदि बालिका किसी भी कक्षा में अनुतीर्ण हो जाती है तो बालिका को पुनः उसी कक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

प्रपत्र–1 व 2 एवं बिलों की जॉच उपरान्त प्रति संलग्न कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इस कम में यह भी उल्लेख है कि वर्ष 2021–22 में केवल कक्षा–11 वं 12 में अध्ययनरत बालिकाओ के ही प्रस्ताव इस कार्यालय को भिजवाये जावे। उच्च शिक्षा से सम्बन्धित बालिकाओं के कोई भी प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किये जाने है कक्षा–11 व 12 में अध्ययनरत बालिकाओं के प्रस्ताव निम्न प्रारूप में आवश्यक रूप से भिजवाये जाने का कष्ट करें।

| क.स. | कक्षा | बालिका का नाम | बालिका को देय राशि | संस्था को देय राशि | कुल राशि |
|---|---|---|---|---|---|

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(डॉ. भारती वर्मा)
सचिव
बालिका शिक्षा फाउण्डेशन
जयपुर

क्रमांक :– प.85 / बा.शि.फा. / मु.ह.बे.योजना / 2016–17 / पार्ट–2 / 165- 167 दिनांक : 25/4/2022
प्रतिलिपि :–

1. शासन उप सचिव महोदय, प्रथम शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निदेशक महोदय, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर
3. प्रभारी अधिकारी महोदय, छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
4. रक्षित पत्रावली।

सचिव
बालिका शिक्षा फाउण्डेशन
जयपुर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/छात्रवृति/स्कॉलर–इ /मु.ह.बे.यो/2021–22 दिनांकः– 21.04.2022

सचिव,
बालिका शिक्षा फाउंडेशन,
जयपुर

विषयः– ''मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना'' अन्तर्गत चयनित बालिकाओं के भुगतान के संबंध मे।

प्रसंगः– राज्य सरकार के पत्रांक क्रमांक प17(11)शिक्षा–1/2015 जयपुर दिनांक 19.04.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार का प्रासंगिक पत्र संलग्न कर लेख है कि ''मुख्यमंत्री हमारी बेटियॉ योजना'' के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन निर्देशानुसार क्रियान्वित किया जाना सुनिश्चित करने का श्रम करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

**प्रतिलिपि :** निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुरं को प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ।
2. रक्षित पत्रावली

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

**राजस्थान सरकार**
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प 17(11) शिक्षा–1/2015 जयपुर,दिनांक :– 19/4/2022

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर।

PS/Mail/07/22
20/4/22

विषयः– "मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना" की कियान्विति के संबंध में नवीन दिशा–निर्देश।
संदर्भः– शिविरा/माध्य/छात्रवृत्ति/स्कॉलर–इ/मु.ह.बे.यो/ 2020–21 दिनांक 24.03.2022
प्रसंगः– इस विभाग का समसंख्यक पत्रांक प.17(11)शिक्षा–1/2015 दिनांक 16.10.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में वर्तमान में कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को पुरस्कार देने की कार्यवाही बालिका शिक्षा फाउण्डेशन जयपुर के द्वारा तथा स्नातक एवं उच्च स्तर पर अध्ययनरत बालिकाओं के लिये उक्त योजना उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से कियान्वित किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

शेष शर्ते पूर्व में जारी इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 16.10.2015 के अनुसार अनुसार रहेंगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार जारी दिशा–निर्देश।

भवदीय,

(भारतेन्द्र जैन)
**शासन उप सचिव, प्रथम**

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
6. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

19.04.22
**(डॉ. रणवीर सिंह)**
विशेषाधिकारी–शिक्षा

Rajasthan Education Department

## ::मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना की कियान्विति हेतु नवीन दिशा–निर्देश::

### (1) स्कूल शिक्षा विभाग के संदर्भ में:–

1. पात्रता –

   योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत रहते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की कक्षा 10 की परीक्षा में प्रत्येक जिले में–

   - प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली 02 मेधावी छात्राओं हेतु न्यूनतम अंक 75%
   - प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बी.पी.एल. परिवार की 01 मेधावी छात्रा न्यूनतम अंक 75%
   - प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली अनाथ 01 मेधावी छात्रा न्यूनतम अंक 75%

   को स्नातकोत्तर स्तर तक नियमित अध्ययन करने पर आर्थिक सहायता देय है तथा नोडल एजेंसी–बालिका शिक्षा फाउण्डेशन होगा।

2. **आवेदन का सत्यापन** –

   आवेदन के सत्यापन की द्वि–स्तरीय व्यवस्था

   लेवल–1 :– सम्बन्धित संस्था प्रधान

   लेवल–2 :– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय

3. **चयनित मेधावी छात्रा को अध्ययन हेतु देय सुविधाऐं** –

   **अकादमिक कोर्स (नियमित विद्यार्थी)**

   - कक्षा 11 व 12 / समकक्ष में नियमित अध्ययन होने पर

   **अकादमिक कोर्स (कोचिंग लेने पर)**

   - 11वीं / 12वीं कक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश के लिए कोचिंग लेने पर प्रथम एक वर्ष के लिए ही एक ही बार राशि का पुनर्भरण किया जा सकेगा, जिसके लिए छात्रा पात्र है।

4. **देय राशि**–

| कक्षा | देय राशि | |
|---|---|---|
| 11 व 12 | एक मुश्त सहायता | छात्रावास / कोचिंग के बिल प्रस्तुत करने पर |
| | 15,000रू. प्रतिवर्ष | 1,00,000रू. प्रतिवर्ष अधिकतम |

5. **बजट स्त्रोत– बालिका शिक्षा फाउण्डेशन जयपुर।**

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते